



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26112022-240596
CG-DL-E-26112022-240596

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5269]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 25, 2022/अग्रहायण 4, 1944

No. 5269]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 25, 2022/AGRAHAYANA 4, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2022

का.आ. 5499(अ).—केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट NH16 के किमी. 180 किमी. से 199.141 किमी. तक के भुखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन कि तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH16 तक की भूमि का अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	तहसीलदार रेमूना	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH16 के	उड़ीसा	बालेश्वर	रेमुणा	1 बाउंसमूहाँ-२४३

		कि.मी. 180 से 199.141 तक			
--	--	-----------------------------------	--	--	--

[फा. सं. NHAI/BOT/11012/58/2005/Pt./LA/NH-16]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th November, 2022

S.O. 5499(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed hereto as the Competent Authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from Km. 180 to Km. 199.141 of the NH16 for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of ODISHA.

SCHEDULE**Land acquisition on National Highway No. NH16 in the State of ODISHA.**

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Tahasildar, Remuna	180KM To 199.141KM	ODISHA	BALASORE	Remuna	1 Baunshamuhan-243

[F. No. NHAI/BOT/11012/58/2005/Pt./LA/NH-16]

RAJESH GUPTA, Director